

PAC द्वारा नियामक नकियाँ के प्रदर्शन की समीक्षा

स्रोत: TH

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [लोक लेखा समिति \(PAC\)](#) ने [भारतीय प्रतभुति एवं वनियम बोर्ड \(SEBI\)](#) और [भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण \(TRAI\)](#) जैसी नियामक संस्थाओं के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिये स्वतः पहल की है।

PAC ने नियामक नकियाँ की समीक्षा क्यों शुरू की है?

- समीक्षा का उद्देश्य सार्वजनिक नधिका के प्रभावी उपयोग को बढ़ाना तथा सरकारी नगिरानी में सुधार करना है।
- यह नरिणय SEBI प्रमुख के खलिफ हतियों के टकराव के आरोपों को लेकर उठे राजनीतिक वविाद के बीच लयिा गया।
- पैनल ने स्वप्रेरणा से जाँच के लयिे 5 वषियों का चयन कयिा है, जनिमें "संसद के अधनियम द्वारा स्थापति नयिामक नकियों की कार्यनषिपादन समीक्षा" और "सार्वजनिक अवसंरचना एवं अन्य सार्वजनिक उपयोगतिाओं पर शुल्क, टैरफि, उपयोगकर्त्ता प्रभार आदि का अधरिापण और वनियमन" शामिल हैं।

लोक लेखा समिति (PAC) क्या है?

- परिचय:
 - PAC भारत सरकार के राजस्व और व्यय की लेखापरीक्षा के उद्देश्य से भारत की संसद द्वारा गठति चयनति [संसद सदस्यों](#) की एक समतिि है।
 - संसदीय समतियियों को संवधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 के तहत अधिकार प्राप्त हैं। PAC तीन वत्तितीय संसदीय समतियियों में से एक है, अन्य दो प्राक्कलन समतिि तथा सार्वजनिक उपक्रम समतिि हैं।
 - CAG समतिि का कोई भी सदस्य सरकारी मंत्री के रूप में किसी भी पद पर बना नहीं रह सकता।
- पृष्ठभूमि:
 - PAC की शुरुआत 1921 में हुई थी, जिसका उल्लेख भारत सरकार अधनियम, 1919 में पहली बार कयिा गया था, जसिमें [टैगू-चेम्सफोर्ड](#) सुधार भी कहा जाता है।
 - इसका गठन प्रत्येक वर्ष लोकसभा की प्रक्रयिा तथा कार्य संचालन नयिमाँ के नयिम 308 के अंतर्गत कयिा जाता है।
- संरचना: वर्तमान में इसमें 22 सदस्य होते हैं (लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नरिवाचति 15 सदस्य और राज्यसभा के सभापति द्वारा नरिवाचति 7 सदस्य) जनिा कार्यकाल केवल 1 वर्ष होता है।
 - समतिि के अध्यक्ष की नयुक्ति [लोकसभा](#) अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
- शक्तियाँ और कार्य:
 - व्यय के लयिे सदन द्वारा दी गई नधियिों के वनियोजन और सरकार के वार्षिक वत्ति लेखों की जाँच करना।
 - सदन में प्रस्तुत अन्य लेखों की समीक्षा करना, जनिहें समतिि उचिति समझे, सवाय उन लेखों के जो सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधति हों तथा जनिहें सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समतिि को सौंपा गया हो।
 - समतिि राजस्व प्राप्तयिों, वभिन्नि मंत्रालयों/वभिागों द्वारा सरकारी व्यय तथा स्वायत्त नकियों के खातों पर वभिन्नि CAG लेखापरीक्षा रपौरटों की समीक्षा करतिि है।
 - जाँच के दौरान CAG समतिि की सहायता करता है।
- अनुशंसाएँ:
 - PAC की सफिरशिं सलाहकारी हैं और सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं, कयोंकयिह एक कार्यकारी नकिय है, जो आदेश जारी नहीं कर सकता है तथा केवल संसद ही समतिि के नषिकर्षों पर अंतिम नरिणय ले सकती है।

भारत में नियामक नकिय क्या है?

- परिचय:

- ये एजेंसियाँ प्रत्यक्ष कार्यकारी पर्यवेक्षण के साथ या उसके बिना कार्य कर सकती हैं।
- नियामक निकाय स्वतंत्र सरकारी संस्थाएँ हैं, जो विशिष्ट गतिविधि या संचालन के क्षेत्रों में मानक निर्धारित करने और लागू करने के लिये स्थापित की जाती हैं।

कार्य:

- वनियम और दिशानिर्देश बनाना
- गतिविधियों की समीक्षा और मूल्यांकन
- लाइसेंस जारी करना
- निरीक्षण करना
- सुधारात्मक कार्रवाइयों का कार्यान्वयन
- मानकों को लागू करना

उदाहरण:

- भारतीय प्रतभूति एवं वनियम बोर्ड (SEBI)

- **स्थापना:** 1992
- **मुख्यालय:** मुंबई
- **भूमिका:** प्रतभूति बाजारों को वनियमित करना, निवेशकों की सुरक्षा करना और बाजार की अखंडता सुनिश्चित करना।
- **संरचना:** अध्यक्ष, पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्यों सहित बोर्ड। अपीलों का नपिटारा प्रतभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) द्वारा किया जाता है, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है।
- **कार्य:** वनियमों का मसौदा तैयार करना, जाँच करना, जुर्माना लगाना, वदेशी उद्यम पूंजी कोष, म्यूचुअल फंड तथा धोखाधड़ी की प्रथाओं को संबोधित करना।

- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI)

- **स्थापना:** 1997
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली
- **भूमिका:** दूरसंचार सेवाओं को वनियमित करना, टैरिफ संशोधित करना, सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और दूरसंचार नीति पर सरकार को सलाह देना।
- **संरचना:** अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक और दो अंशकालिक सदस्य।
- **अपीलीय प्राधिकरण:** दूरसंचार विवाद नपिटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी, जो TRAI के नरिण्यों से संबंधित विवादों तथा अपीलों को संभालता है।

- अन्य नियामक निकाय: [भारतीय रजिर्व बैंक \(RBI\)](#), [राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक \(NABARD\)](#), [भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक \(SIDBI\)](#), [भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण \(FSSAI\)](#), [केंद्रीय औषध मानक नरिंतरण संगठन \(CDSCO\)](#) और [भारतीय प्रतसिप्रद्धा आयोग \(CCI\)](#)।

और पढ़ें: [भारतीय प्रतभूति और वनियम बोर्ड, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण नरिसन वनियम, 2023](#)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सा/से भारत सरकार का/के “डजिटल इंडिया” योजना का/के उद्देश्य है/हैं? (2018)

1. भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन, जैसा कि चीन ने किया।
2. एक नीतगित ढाँचे की स्थापना जिससे बड़े आँकड़े एकत्र करने वाली समुद्रपारीय बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अन्दर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें।
3. हमारे अनेक गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से वदियालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाई-फाई (Wi-Fi) लाना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न. पंजीकृत वदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन वदेशी निवेशकों को, जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा चाहते हैं, नमिनलखिति में से क्या जारी किया जाता है? (2019)

- (a) जमा प्रमाण-पत्र
- (b) वाणज्यिक पत्र
- (c) वचन-पत्र (प्रॉमिसरी नोट)
- (d) सहभागिता पत्र (पार्टसिपिटरी नोट)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pac-to-review-regulatory-bodies-performance>

